# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

**राजस्व अपील सं. 04/2023**

**पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस**

**अन्तर्गत धारा 75 RLR Act**

अनवान अपीलाण्ट –

1. अणसी पत्नि डूंगराराम पुत्री अणदा
जाति जाट
निवासी आजाद नगर, तहसील चौहटन

**बनाम**

उतरदातागण –

1.सरपंच ग्राम पंचायत नेतराड़
2.किरता 2.तेजा 4.वागा पि.अणदा
जातियान जाट, निवासी जगरूपाणियों की बस्ती (सांईयों का तला ), तहसील चौहटन
5.जीयों पत्नि चेनाराम पुत्री अणदा
जाति जाट, निवासी पुरावा (रामजी की गोल) तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण – अपीलाण्ट वकील – **श्री हुकमसिंह गोदारा**
उतरदातागण वकील – **एकतरफा**

## निर्णय

दिनांक :– 8/4/25

अपीलाण्ट द्वारा पेश अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट एवं उतरदाता सं. 2 से 5 के पिता स्व.अणदाराम पुत्र कुम्भाराम की खातेदारी के खेत मौजा सांईयों का तला, पटवार क्षेत्र नेतराड़ तहसील चौहटन में खसरा सं. [illegible]183/777 रकबा 06.0865 हैक्टयर, खसरा सं. 1253/744 रकबा 07.450[illegible] हैक्टयर, खसरा सं. [illegible]768 रकबा 04.6377 हैक्टयर, खसरा सं. 776 रकबा 00.0647 हैक्टयर के आये हुए है [illegible] अपीलाण्ट के पिता अणदा की फौतगी का नामान्तरकरण सं. 144 जो ग्राम पंचायत नेतराड़ द्वारा दिनांक 07.0[illegible] को पारित किया गया। अपीलाण्ट अपने पिता अणदा की जायन्दा पुत्री होने से अपीलाण्ट को अपने भाई

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.04.18 15:43:31 IST
Reason: SelfAttested

उतरदाता सं. 2 से 4 को अपने पिता की मृत्यू का नामान्तरकरण भरवाने का जिम्मा सौंपा था तथा उसने अपने भाई के ऊपर विश्वास किया व सोचा कि उसका भाई विरासत का नामान्तरकरण पटवारी हल्का व सरपंच से अपीलाण्ट के नाम से पारित करवायेंगे परन्तु अपीलाण्ट के भाई उतरदाता सं. 2 से 4 ने उनके साथ धोखा किया और स्व.अणदा की फौतगी का नामान्तरकरण केवल उतरदाता सं. 2 से 4 एवं अपीलाण्ट की माता स्व.इमीयां के नाम से पारित करवा दिया। अपीलाण्ट स्व.अणदा की जायन्दा पुत्री है तथा वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट का 1/5 हिस्सा है तथा इसी हिस्सानुसार अपीलाण्ट का मौके पर कब्जा काश्त है।

तत्कालीन ग्राम पंचायत नेतराड़ के सरपंच द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में नामान्तरकरण पारित करते समय उतरदाता सं. 2 से 4 के साथ मिलकर जानबूझकर अपीलाण्ट को उनकी पैतृक भूमि से बेदखल करने की नियत से उतरदाता सं. 2 से 4 व स्व.इमियां के नाम से नामान्तरकरण पारित कर दिया जो अपीलाण्ट के हक हककों के लिए प्रारम्भ से शून्य है।

इसलिए अपीलाण्ट उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध पारित नामान्तरकरण सं. 144 दिनांक 07.08.1995 को निरस्त करवाकर उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपना 1/5 हिस्सा दर्ज करवाने की अधिकारी है, इस हेतु अपील पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उतरदातागण को जरिये नोटिस/रजि एडी नोटिस तलब किया गया। उतरदातागण की ओर से कोई उपस्थित नहीं, उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली पेश हुई । अपीलाण्ट अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट एवं उतरदाता सं. 2 से 5 के पिता स्व.अणदाराम पुत्र कुम्भाराम की खातेदारी के खेत मौजा सांईयों का तला, पटवार क्षेत्र नेतराड़ तहसील चौहटन में खसरा सं. 1183/777 रकबा 06.0865 हैक्टयर, खसरा सं. 1253/744 रकबा 07.4505 हैक्टयर, खसरा सं. 768 रकबा 04.6377 हैक्टयर, खसरा सं. 776 रकबा 00.0647 है[illegible] आए हुए है। जिसमें अपीलाण्ट के पिता अणदा की फौतगी का नाम[illegible] पंचायत नेतराड द्वारा दिनांक 07.08.1995 को पारित किया गया। अपीलाण्ट [illegible] अणदा की जायन्दा पुत्री होने से अपीलाण्ट को अपने भाई उतरदाता सं. 2 [illegible] को अपने पिता की मृत्यू का नामान्तरकरण भरवाने का जिम्मा सौंपा था तथा उसने अपने भाई के ऊपर विश्वास किया व सोचा कि उसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.04.18 16:43:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

भाई विरासत का नामान्तरकरण पटवारी हल्का व सरपंच से अपीलाण्ट के नाम से पारित करवायेंगे परन्तु अपीलाण्ट के भाई उतरदाता सं. 2 से 4 ने उनके साथ धोखा किया और स्व. अणदा की फौतगी का नामान्तरकरण केवल उतरदाता सं. 2 से 4 एवं अपीलाण्ट की माता स्व. इमीयां के नाम से पारित करवा दिया। अपीलाण्ट स्व.अणदा की जायन्दा पुत्री है इसलिए उक्त वादग्रस्त आराजी में अपीलाण्ट के पिता अणदा के फौत होने पर अपीलाण्ट का नाम नामान्तरकरण सं. 144 में दर्ज होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपीलाण्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act स्वीकार की जाकर उतरदाता सं. 01 द्वारा मौजा सांईयों का तला, पटवार क्षेत्र नेतराड़ तहसील चौहटन में खसरा सं. 1183/777 रकबा 06.0865 हैक्टयर, खसरा सं. 1253/744 रकबा 07.4505 हैक्टयर, खसरा सं. 768 रकबा 04.6377 हैक्टयर, खसरा सं. 776 रकबा 00.0647 हैक्टयर के संबंध में पारित नामान्तरकरण सं. 144 दिनांक 07.08.1995 को निरस्त किया जाकर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8/4/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.04.18 15:43:31 IST
Reason: SelfAttested